95

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5150—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—03—2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 41/अपील/2012—13.

.....

1—हरीहर प्रसाद तिवारी तनय स्व0 रामविशाल तिवारी
निवासी ग्राम पड़ोखर
तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—रामकरण तनय स्व0 श्री रामचरण ब्रा0
2—श्रीमती बुंटटनी पुत्री स्व0 श्री रामचरण
पत्नी श्री कौशल दुबे निवासीगण ग्राम
पड़ोखर तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक कुमार द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 06-04-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—03—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 ने राजस्व निरीक्षक वृत्त गोविन्दगढ़ की नामांतरण पंजी कमांक–6 में पारित आदेश दिनांक 28.1.77 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 30.7.12 को अपील स्वीकार की गई इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 31.3.17 को अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 30.7.12 स्थिर रखते हुये निरसत की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि भूमि खसरा कमांक 664 रकवा 0.38 एकड़ एवं 666 रकवा 0.08 एकड़ स्थित ग्राम पड़ोखर तहसील हुजूर जिला रीवा आवेदक स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिस भूमि का नामांतरण आवेदक के हक में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.1.77 को अनावेदकगण की सहमति एवं जानकारी में हुआ था जिस नामांतरण पंजी में अनावेदक रामकरण ने हस्ताक्षर बनाया था तब से लगातार आवेदक बतौर भूमि स्वामी राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज रहा व मौके में काबिज दखील रहा व हैं जिसकी जानकारी प्रारंभ से ही अनावेदकगण को थी, लेकिन उन्होंने दिनांक 15.7.11 को बनावटी आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय में द्वैष भावना से की जिसकी कोई भी सूचना आवेदक को नहीं मिली और न आवेदक को दिनांक 11.9.12 के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की कोई जानकारी ही हुई आवेदक को सर्वप्रथम जानकारी खसरा वर्ष 2011–12 की नकल लेने पर हुई जब उसमें अनावेदकगणों का नाम बतौर भूमिस्वामी इन्द्राज मिला जिसका पता आवेदक द्वारा पता लगाने पर चला कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.12 के आधार पर अनावेदकगण का नाम इन्द्राज किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क भी है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में 35 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जो प्रथम दृष्टया अवधि वाधित होने से ग्राह्य एवं विचार योग्य नहीं थी। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त भूमि के प्रचलित मूल्य से कई गुना ज्यादा था जबकि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है विकयटीप दिनांक 28.8.69 की उस समय जमीन का कोई महत्व नहीं था व लोग जमीनों की लगान नहीं

दे पाते थे जिस कारण वे या जमीन को छोड़ देते थे या सस्ते दामों में विकय कर देते थे जिस कारण इस आधार पर नामांतरण आदेश दिनांक 28.1.77 निरस्त नहीं किया जा सकता था। अंत में आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि विवादित भूमि पुराना खसरा नं0 664 नया नं0 705 अनावेदकगण की पारिवारिक शमसान की भूमि है जिसमें आम के तीन पुराने पेड़ आज भी मौजूद हे तथा शमसान की भूमि होने से पड़ती है तथा पुराना खसरा नं0 666 नया नं0 710 अनावेदकगण के आबादी से लगी हुई आबादी एवं निस्तार की भूमि है जिसे आवेदक ने अनावेदकगण को सूचना दिये वगैर चोरी छिपे कथित फर्जी बिकी टीप दिनांक 28.1.77 का हवाला देकर चोरी छिपे नामंतरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया जिस संबंध में अनावेदकगण को सूचना का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिसका स्पष्ट प्रमाण उक्त नामांतरण पंजी है, उक्त नामांतरण पंजी में अनावेदकगण कमांक 2 के हस्ताक्षर निसानी अंगूठा तक नहीं बने है इस प्रकार उसके हक एवं स्वत्व का कूटरचित नामांतरण आवेदक द्वारा कराया गया है तथा उक्त पंजी में अनावेदकगण कमांक–1 के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं उक्त भूमियों में आवेदक को कभी भी कब्जा दखल प्राप्त नहीं हुआ तथा आवेदक ने कब्जे के संबंध में कभी विरोध प्रकट नहीं किया दिनांक 5.6.11 को आवेदक द्वारा उक्त भूमियों पर कब्जा करने का असफल प्रयास किये जाने पर उक्त नामांतरण पंजी कमांक–6 आदेश दिनांक 28.1.77 की जानकारी मिली जिसकी अपील अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई का विधिवत अवसर देकर आदेश दिनांक 30.7.12 पारित कर अपील स्वकार की गई एवं राजस्व निरीक्षक गोविन्दगढ का अधिकारिता विहीन अवैधानिक आदेश दिनांक 28.1.77 निरस्त कर दिया गया जिसके परिपालन में अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी आवेदक की अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है। अनावेदक का यह भी तर्क है कि पंजी कमांक 6 दिनांक 25.12.76 सूचना प्राप्त की तारीख अंकित की गई साथ

अनावेदकगण को नामांतरण से सहमत होना लेख किया गया किन्तु कोई सूचना/आवेदन या सहमति पत्र नामांतरण पंजी के साथ संलग्न नहीं है यहां यह स्पष्ट किया जा रहा है कि उक्त भूमियों के कब्जे के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा पंजी में तहरीर इबारत में कोई जिक नहीं किया किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा एक कदम बढ कर बिना किसी आधार के कब्जा दे दिये जाने के तथ्य लेखकिया गया हे साथ ही राजस्व निरीक्षक द्वारा हरिहर प्रसाद की उपस्थिति लेखकी गई है किन्तु पूरी पंजी में गैरनिगरानीकर्तागण की उपस्थिति का कोई जिक नहीं किया गया है फिर पंजी में रामकरण के हस्ताक्षर किसने किया हस्ताक्षर में काट छांट कर किसके द्वारा इनिशियल किया गया उक्त पंजी में बिक्री टीप दिनांक 20.8.69 लेख है जबकि नामांतरण 28.1.77 लगभग 8 वर्ष हुआ जो स्वयं ही संदिग्ध है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा कमांक 664 रकवा 0.38 एकड़ एवं 666 रकवा 0.08 एकड़ स्थित ग्राम पड़ोखर तहसील हुजूर जिला रीवा आवेदक स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिस भूमि का नामांतरण आवेदक के हक में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.1.77 को अनावेदकगण की सहमति एवं जानकारी में हुआ था जिस नामांतरण पंजी में अनावेदक रामकरण ने हस्ताक्षर बनाया था तब से लगातार आवेदक बतौर भूमि स्वामी राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज रहा व मौके में काबिज दखील रहा है, जिसकी जानकारी प्रारंभ से ही अनावेदकगण को थी, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय में द्वैष भावना से अपील की जिसकी कोई भी सूचना आवेदक को नहीं मिली और न आवेदक को दिनांक 11.9.12 के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की कोई जानकारी ही हुई आवेदक को सर्वप्रथम जानकारी खसरा वर्ष 2011–12 की नकल लेने पर हुई जब उसमें अनावेदकगणों का नाम बतौर भूमिस्वामी इन्द्राज मिला जिसका पता आवेदक द्वारा पता लगाने पर चला कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.12 के आधार पर अनावेदकगण का नाम इन्द्राज किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क मानने योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय

में 35 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जो प्रथम दृष्टया अवधि वाधित होने से ग्राह्य एवं विचार योग्य नहीं थी, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण धारा–5 पर सुनते हुये साथ ही प्रकरण गुण–दोष के आधार पर सुना और बिना सूचना के आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण आदेश है जिस ओर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा भी ध्यान आकर्षित नहीं किया गया और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई है।

1–भेंरों प्रसाद विरूद्व म0 प्र0 शासन 2008 जे0 एल0 जे0 288 घारा–5 विंलब की मांफी के लिये आवेदन की जांच आवश्यक नहीं हैं जब तथ्य से ही अपीलांट को जानकारी में है।

2–हस्थीमल विरूद्व जगदीश 2008 म0प्र0 वीकली नोट 32 धारा–5 833 दिन बाद अपील फायल करने में विलंब को मांफी का कारण वास्तविक नहीं अपितु वास्तविक रहित है। मांफ नहीं किया जा सकता।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हरिहर प्रसाद तनय रामविशाल तिवारी की जन्म दिनांक 10.1.54 एवं कच्ची टीप लेखक रामानन्द शर्मा तनय बाबूलाल शर्मा की जन्म दिनांक 14.6.55 है यह जानकारी अनावेदक द्वारा सूचना के अधिकार से प्राचार्य शा0 उच्च मा0 विद्यालय डिहिया रीवा से प्राप्त की गई है इससे यह भी सिद्व है कि कच्ची टीप दिनांक 20.8.69 को लेख की गई है। अतः टीप लेखक की उम्र उस समय 15 वर्ष रही है। इसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालयों में भी प्रस्तुत की गई है तथा अनुविभागीय अधिकारी को चाहिये थी कि उसी समय एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के आदेश देते और प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करते । ऐसा न करते हुये प्रकरण धारा–5 का निराकरण करते हुये 35 वर्ष बाद गुणदोष के आधार पर निराकरण करने में त्रुटि की गई है। इस ओर अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया है जो आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 158/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.7.12 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 41/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31.03.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 28.01.1977 यथावत रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर